कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रमांक/एफ– /1/सा.प्र.वि./विविध/2021/211 भिलाई, दिनांक 9-2-2021

//आदेश//

अपर संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/स्था/दो/वि./329/2020/10586 दिनांक 30.01.2021 के द्वारा छ.ग. विधानसभा का फरवरी–मार्च 2021 सत्र दिनांक 22.02.2021 से 26.03.2021 तक आहूत किया गया है। इस दौरान प्राप्त होने वाले विधानसभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाएं, स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल के प्रश्न आदि का उत्तर समय–सीमा में शासन को भेजा जाना होता है का उल्लेख करते हुए यह पत्र जारी होने के दिनांक से बगैर सक्षम स्वीकृति के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अवकाश पर न जावें व मुख्यालय से बाहर न रहें। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी बगैर सक्षम स्वीकृति के अवकाश पर रहेंगे, तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, के निर्देश है।

अतः उपरोक्त निर्देश के परिपालन में नगर पालिक निगम, भिलाई में कार्यरत् समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को यह निर्देशित किया जाता है, कि विधानसभा फरवरी–मार्च 2021 सत्र के दौरान बगैर सक्षम स्वीकृति के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अवकाश पर नही जायेगे और न ही मुख्यालय से बाहर रहेंगे। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी बगैर सक्षम स्वीकृति के अवकाश पर रहेंगे, तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(ऋतुराज रघुवंशी)
आई.ए.एस.
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ– /1/सा.प्र.वि./विविध/2021/212 भिलाई, दिनांक 9-2-2021
प्रतिलिपि :–

1. प्रशासक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. नोडल अधिकारी विधानसभा सत्र, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. सर्व विभाग प्रमुख.................................नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. सर्व जोन आयुक्त 1,2,3,4 एवं 5 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रोग्रामर डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

E:Drive/R.Y./order